

(भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशनार्थ)

[भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (ii)]

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 64/2015-2020

दिनांक: 31 मार्च, 2022

सा.आ.(अ.) यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

पैरा 1.01 में 'जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो 31 मार्च, 2022 तक लागू रहेगी' वाक्यांश को 'जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो 30.09.2022 तक लागू रहेगी' वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाता है।

इस अधिसूचना का प्रभाव: दिनांक 31.03.2022 तक वैध विदेश व्यापार नीति 2015-2020 को दिनांक 30 सितम्बर, 2022 तक आगे बढ़ाया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
31.3.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/75/171/00020/एम-22/एफटीपी प्रकोष्ठ से जारी)